कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-0135-2767611

संख्याः– 1469 / **FP/UK/OTHER/37359/2018** देहरादूनः दिनांक 23 नवम्बर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः– जनपद टिहरी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या संख्या–76/2017 विकास खण्ड हिण्डोलाखा में मिनी स्टेडियम (चन्द्रवदनी खेल मैदान) के निर्माण हेतु 0.600 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS** दिनांक 14–10–2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक** 14–10–2020 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	राज्य शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाये कि प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/OTHER/37359/2018 And FP/UK/OTHER/34659/2018** में से किस प्रस्ताव पर विचार किया जाना है, तथा दूसरे प्रस्ताव को राज्य शासन द्वारा withdraw किया जाये	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/OTHER/37359/2018** पर विचार किया जाना है, जो कि वृक्ष विहीन क्षेत्र है, जो कि पूर्व में प्रस्तावित स्थल से लगभग 05 मी0 की दूरी पर स्थित है तथा प्रस्ताव संख्या **FP/UK/OTHER/34659/2018** को प्रस्तावक विभाग द्वारा withdraw कर दिया गया है।
2	साथ ही प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/OTHER/34659/2018** में पूर्व में 35 बांज वृक्षों का पातन प्रस्तावित था किन्तु वर्तमान में प्रस्ताव में ऑन लाईन प्रस्तुत जानकारी अनुसार इस प्रस्ताव में भी प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या शून्य है। अतः राज्य शासन इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।	वन सरंक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में प्रस्ताव संख्या **FP/UK/OTHER/34659/2018** चन्द्रवदनी में मिनी खेल मैदान हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 35 वृक्ष बांज के प्रभावित हो रहे थे जिस कारण भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/09/200/2019/एफ0सी0/2205 दिनांक 06–01–2020 के माध्यम से उक्त प्रस्ताव को अमान्य करते हुये वृक्ष विहीन क्षेत्र का चयन कर संसोधित प्रस्ताव संख्या **FP/UK/OTHER/37359/2018** इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–शून्य है।
3	Comments of Nodal Officer regarding guideline para 1.15 still not received.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि Para 1.15 में Non-site specific activity के प्राविधानों के अनुपालन में परियोजना निर्माण हेतु अन्य वैकल्पिक स्थलों का परीक्षण किया गया , किन्तु हिण्डोलाखाल के इस क्षेत्र में अन्य भूमि जैसे–सिविल सोयम एवं नाप/काश्तकारों की निजी भूमि स्टेडियम हेतु उपलब्ध ना होने के फलस्वरूप ही आरक्षित वन भूमि त्यूणा कक्ष संख्या–01 का चयन मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु किया गया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु अन्य स्थल उपलब्ध न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र भी जारी

		किया गया है जिसकी प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
4	Recommendation of CF is not found at para 16 in part-II	वन संरक्षक की संस्तुति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5	FRA certificate submitted for proposal other than non linear.	उक्त आपत्ति का निराकरण पार्ट–1 में यथास्थान कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथापरि।

भवदीय,

23/11/20

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी